पडत एवं परिभ्रांषित वन भूमि पर बायोडीजल आधारित वृक्षारोपण परियोजना क्रियान्वयन बाबत दिशा–निर्देश

1. उद्देश्य

बायोडीजल परियोजना का उद्देश्य विभाग की पडत एवं परिभ्रांषित वन भूमि पर रतनजोत एवं करंज के पौधों का रोपण किया जाकर इस तरह का प्राकृतिक संसाधन का विकास कर लिया जावे कि इन प्रजातियों से प्रचुर मात्रा में बीज उपलब्ध हो सके एवं इन बीजों से बायोडीजल प्राप्त किया जा सके।

राज्य के वन क्षेत्र का लगभग आधा क्षेत्र परिभ्रांषित स्थिति में है, जिस पर वृक्षारोपण कर हरा भरा करने के साथ साथ क्षेत्र की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए बायोडीजल उत्पन्न करने वाली स्थानीय प्रजातियां जैसे रतनजोत एवं करंज आदि का रोपण किया जा सकता है।

रतनजोत (जैट्रोफा करकस) को सफेद अरण्ड, चन्द्रजोत आदि नामों से भी जाना जाता है। यह शुष्क सहनशील बहुवर्षीय पौधा है जो कमजोर मृदा वाले क्षेत्रों में भी बहुत आसानी से लग जाता है। रतनजोत के पौधे पांच से छः वर्ष में लगभग 4 से 5 मीटर तक उंचाई प्राप्त कर लेते हैं तथा इनकी आयु लगभग 40 वर्ष मानी जाती है, इसके बीज अरण्ड के बीज जैसे परन्तु कुछ छोटे होते हैं तथा पौधा तीसरे वर्ष में बीज उत्पादन प्रारम्भ हो जाता है। एक लीटर तेल प्राप्त करने के लिए लगभग साढे तीन किलो बीजों की आवश्यकता होती है।

2. रतनजोत एवं तेलीय पौधें उगाने के लिए उपयुक्त क्षेत्र

राजस्थान में मुख्यतः रतनजोत एवं करंज के तेल का उपयोग बायोडीजल के रूप में करने हेतु उपयुक्त पाया गया है। इन प्रजातियों के रोपण के लिए उपयुक्त क्षेत्र निम्न हैं :

2.1 रतनजोत उगाने के लिए उपयुक्त क्षेत्र

रतनजोत मुख्यतया निम्न जिलों में उगाया जा सकता है :–

1. उदयपुर
2. राजसमन्द
3. भीलवाडा
4. सिरोही
5. चित्तौडगढ
6. कोटा
7. बांरा
8. बून्दी
9. झालावाड
10. बांसवाडा
11. डूंगरपुर

उपरोक्त जिलों में प्राकृतिक रूप से रतनजोत वनों में पाया जाता है। इसलिए इन जिलों में रतनजोत को प्रोत्साहित किया जाना उपयुक्त है।

2.2 करंज उगाने के लिए उपयुक्त क्षेत्र

करंज उगाने के लिए उपरोक्त जिलों के अतिरिक्त निम्न जिले जहां वर्षा 400 एम.एम. से अधिक है वहां करंज का रोपण किया जा सकता है।

1. अलवर
2. भरतपुर
3. दौसा
4. जयपुर
5. धौलपुर
6. करौली
7. सवाई माधोपुर
8. टोंक

करंज ऐसे क्षेत्रों में भी रोपित किया जा सकता है जहां पानी का भराव होता है।

2.3 वन भूमि जहां पर परियोजना क्रियान्वित नहीं की जा सकेगी :–

2.3.1 राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र तथा सघन वन क्षेत्र

2.3.2 ऐसी वन भूमि जिस पर विभाग द्वारा किसी परियोजना विशेष के तहत वन विकास कार्य करवाये जा रहे हों या भविष्य में करवाया जाना प्रस्तावित हो।

3. वृक्षारोपण विधि

रतनजोत के पौधे सीधे बीज बुवाई से, कटिंग लगाकर तथा नर्सरी में तैयार पौधों के रोपण से इन्टरक्रोपिंग के आधार पर किये जा सकते हैं। करंज का रोपण नर्सरी में तैयार पौधों के माध्यम से अथवा सीधे बीज बुवाई द्वारा किया जा सकता है। रतनजोत/करंज को वृक्षारोपण की बाडबन्दी पर तथा कन्टूर ट्रेंचों/विडिच पर मध्यम ढलान तक रोपण किया जा सकता है। वृक्षारोपण कार्यों में कार्य स्थल की उपयुक्तता के अनुरूप मृदा एवं जल संरक्षण कार्य सम्मिलित किये जायेगें। रतनजोत एवं करंज का मोनो कल्चर नहीं किया जा सकेगा।

4. वन सुरक्षा समिति द्वारा वृक्षारोपण

वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति सामान्यतया 50 हैक्टेयर में एक वर्ष में वृक्षारोपण करेगी लेकिन क्षेत्र की उपलब्धता होने पर अधिकतम 200 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण स्वीकृत परियोजना के अनुसार कर सकेगी।

5. वन विकास अभिकरण द्वारा वृक्षारोपण

वन विकास अभिकरण द्वारा 500 हैक्टेयर या उपलब्धतानुसार इससे अधिक क्षेत्र में स्वीकृत परियोजना के अनुसार वृक्षारोपण किया जा सकता है।

6. नीतिगत प्रावधान

वन भूमि पर तेलीय पौधों के वृक्षारोपण के संबंध में भारत सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अगर तेल देने वाले पौधें क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाली स्थानीय वनस्पति के रूप में विद्यमान है तथा इनका रोपण क्षेत्र के समग्र वृक्षारोपण का भाग है व रतनजोत तथा करंज को मोनोकल्चर के रूप में नहीं लगाया जाता है तो वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति भारत सरकार से लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके

अतिरिक्त राज्य के साझा वन प्रबन्ध दिशा निर्देश 17.10.2000 के अन्तर्गत नागरिक समुदाय की अन्य संस्थाओं यथा स्वयं सेवी संस्थाऐं (एन.जी.ओ.) सहकारी समितियां, पंचायतें इत्यादि से भी वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु योगदान प्राप्त किया जाये। वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के अतिरिक्त यदि कोई स्वयं सेवी संस्था बिना किसी अधिकार/लाभ प्राप्त करने की शर्त पर वनों के संरक्षण एवं विकास में सहयोग देना चाहती हो तो इस प्रकार के सहयोग प्राप्त करने में वन विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

7. पात्रता

भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अधीन पंजीकृत समिति अथवा राजकीय उपक्रम आदि जो राज्य के पडत एवं परिभ्रांषित वन क्षेत्रों में बायोडीजल वृक्षारोपण करना चाहती हैं एवं इस हेतु आवश्यक संसाधन रखती है तथा वांछित निवेश करने की इच्छुक हैं।

8. क्रियान्वयन प्रक्रिया

बायोफ्यूल वृक्षारोपण हेतु बायोफ्यूल ऑथोरिटी नोडल एजेन्सी का कार्य करेगा तथा तकनिकी मार्गदर्शन वन विभाग द्वारा दिया जायेगा। कम्पनी/समिति/राजकीय उपक्रम जो बायोडीजल वृक्षारोपण परियोजना का इच्छुक हो, द्वारा विस्तृत बायोडीजल परियोजना तैयार की जायेगी एवं सुसंगत अभिलेखों के साथ परियोजना रिपोर्ट बायोफ्यूल ऑथोरिटी को आवेदन पत्र (परिशिष्ट–3) में प्रेषित की जायेगी। जिलेवार पडत एव परिभ्रांषित वन भूमि की सूचना संबंधित उप वन संरक्षक से प्राप्त की जा सकेगी।

8.1 सुसंगत अभिलेखों में निम्न दस्तावेज शामिल हैं :–
परियोजना रिपोर्ट, (क्षेत्र का विवरण एवं नक्शा, रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या एवं अन्य प्रजातियां जो लगाई जायेगी का विवरण, अनुमानित लागत)

8.2 प्रार्थना पत्रों की जांच विश्लेषण आदि का कार्य विभाग द्वारा 60 दिवस की अविध में पूर्ण करना होगा। इस अवधि में संबंधित वन विकास अभिकरण/ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति द्वारा साधारण सभा में निर्णय करवाकर परियोजना को उपयुक्त पाये जाने की स्थिति में बॉयोफ्यूल ऑथोरिटी को तकनीकी अनुशंषा तथा संबंधित साधारण सभा के अनुमोदन संबंधी सूचना के साथ प्रेषित कर दी जायेगी। यदि किसी क्षेत्र विशेष के संबंध में एक से अधिक कम्पनियां/समितियां /राजकीय उपक्रम आदि आवेदन करती हैं तो ऐसे प्रकरणों में कम्पनियों की क्षमता एवं परियोजना रिपोर्ट की तकनीकी उपयुक्तता को दृष्टिगत रखे हुए उप वन संरक्षक द्वारा एक कम्पनी/समिति/राजकीय उपक्रम आदि की अनुशंषा कर बॉयोफ्यूल ऑथोरिटी को अन्तिम निर्णय के लिए प्रेषित किया जायेगा।

8.3 बॉयोफ्यूल ऑथोरिटी सक्षम स्तर पर अनुमोदनोपरान्त क्रियान्वयन हेतु कम्पनी/समिति/राजकीय उपक्रम की परियोजना संबंधित उप वन संरक्षक को प्रेषित कर दी जायेगी।

8.4 तत्पश्चात संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वन विकास अभिकरण/ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी जायेगी।

8.5 वन विकास अभिकरण/ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के नियमानुसार अनुमोदन उपरान्त निवेश कर्ता के साथ त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. (परिशिष्ठ–1) का निष्पादन किया जायेगा। ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति बाबत एम.ओ.यू. वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जावेगा तथा वन विकास अभिकरण द्वारा एम.ओ.यू. वन विकास अभिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जावेगा। कम्पनियों/समितियों/राजकीय उपक्रमों को वृक्षारोपण हेतु कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विकास अभिकरण/ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति को राशि उपलब्ध करानी होगी। क्षेत्र की उपयुक्तता के अनुसार रतनजोत एवं करंज के रोपण के साथ साथ अन्य प्रजातियों के पौधों का रोपण भी करवाया जाना वांछनीय होगा। संस्थाओं द्वारा उन्हीं क्षेत्रों में बायोडीजल वृक्षारोपण किये जा सकेगें जहां रतनजोत एवं करंज प्राकृतिक रूप से पाये जाते हैं तथा इन प्रजातियों का रोपण क्षेत्र विशेष के समग्र वृक्षारोपण परियोजना का भाग है।

8.5.1 एम.ओ.यू. 10 वर्ष की अवधि के लिए होगा जो तीनों पक्षों की सहमति से बढाया जा सकेगा।

8.5.2 जो कम्पनियां/समितियां/राजकीय उपक्रम अनुसंधान एवं अनुवांशिकीय सुधार पर कार्य करने की इच्छुक होगी तथा जिनके पास इस हेतु उपयुक्त संसाधन होगें उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी।

8.5.3 वृक्षारोपण से प्राप्त रतनजोत के बीजों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कम्पनियों/समितियों/राजकीय उपक्रमों द्वारा क्रय किया जायेगा। वन सुरक्षा समिति रतनजोत/करंज के बीजो को कम्पनी को ही बेचेगीं तथा अन्य लघु वन उपज का लाभ राज्यादेश 17.10.2000 (परिशिष्ठ–2) के अनुसार प्राप्त कर सकेंगी।

8.5.4 रतनजोत आच्छादित 5000 हैक्टेयर क्षेत्र में एक ही कम्पनी ट्रांसइस्टेरिफिकेशन प्लान्ट लगायेगीं।

9. वृक्षारोपण हेतु शर्तें

कम्पनियां/समितियां/राजकीय उपक्रम को निम्न शर्तों की पालना करनी होगी :

9.1 पडत एवं परिभ्रांषित वन भूमि जिस पर वृक्षारोपण किया जा रहा है जिसका स्वामित्व (Ownership) वन विभाग के पास सदैव होगा।

9.2 वृक्षारोपण के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई गैर वानिकी कार्य नहीं करवाया जायेगा लेकिन जल संरक्षण के कार्य जैसे एनिकट निर्माण, नाडी निर्माण कार्य करवाया जा सकेगा।

9.3 वृक्षारोपण क्षेत्र में केवल बायोडीजल प्रजातियों का रोपण (मोनोकल्चर) किसी भी सूरत में नहीं किया जायेगा। बायोडीजल प्रजातियों का रोपण उक्त क्षेत्र की समग्र वृक्षारोपण परियोजना का भाग होगा।

9.4 बायोफ्यूल बीज के अतिरिक्त क्षेत्र से मिलने वाली अन्य वन उत्पाद पर निवेशकर्ता का कोई हक नहीं होगा।

9.5 पडत एवं परिभ्रांषित वन भूमि केवल वृक्षारोपण कार्य हेतु काम में ली जावेगी तथा रतनजोत या करंज का वृक्षारोपण/बीजारोपण वन विभाग द्वारा तैयार किये गये वृक्षारोपण मॉडल के अनुसार किया जावेगा।

9.6 रोपण हेतु धनराशि कम्पनी/समिति/राजकीय उपक्रम द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी तथा प्रजातियों का रोपण एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित होने के तीन वर्ष की अवधि में किया जाना आवश्यक होगा।

9.7 बायोडीजल वृक्षारोपण कार्य, क्षेत्र की देखभाल एवं सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी समिति की होगी।

9.8 वन विकास कार्य को समिति किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को सबलेट नहीं कर सकेगी।

9.9 किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवादों का समाधान संबंधित वन संरक्षक द्वारा किया जावेगा।

9.10 संबंधित पक्ष यदि वन संरक्षक के निर्णय से सहमत नहीं हो तो मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर अपील कर सकेगें एवं मुख्य वन संरक्षक का फैसला अन्तिम होगा।

9.11 बायोफ्यूल आथोरिटि द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना की जावेगी।

9.12 इस संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना की जायेगी।

9.13 समस्त विवादों का निपटारा राजस्थान राज्य के न्यायिक क्षेत्राधिकार संबंधित सक्षम न्यायालयों में ही किया जा सकेगा।

परिशिष्ट –3

पडत एवं परिभ्रांषित वन भूमि पर बायोडीजल आधारित वृक्षारोपण करने बाबत आवेदन पत्र

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
बायोफ्यूल ऑथोरिटी,
राजस्थान, जयपुर

1. मैं/हम पडत/परिभ्रांषित वन भूमि पर बायोडीजल आधारित वृक्षारोपण ..... (जिला/वन मण्डल) क्षेत्र में वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति/वन विकास अभिकरण एवं वन विभाग के सहयोग से करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुसार आवेदन करते हैं।

2. प्रस्तावित परियोजना
   (1) आवेदक का नाम : .....
   (2) पूर्ण पता : .....
   (3) फोन नं. :
   (4) कम्पनी/समिति/राजकीय उपक्रम के संबंध में जानकारी :.....
   .....
   (5) अधिकृत प्रतिनिधि का नाम एवं पता :
   (6) परियोजना की अनुमानित लागत :
   (7) परियोजना स्थापित करने का स्थान
   नाम वन खण्ड एवं कम्पार्टमेन्ट : .....
   नाम रेंज : .....
   जिला : .....
   क्षेत्रफल : .....
   प्रस्तावित वन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति
   रोपित की जाने वाले पौधों की प्रजातिवार अनुमानित संख्या
   (8) संलग्न दस्तावेज :
      1. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
      2. वृक्षारोपण का साईट प्लान
      3. पंजीयन प्रमाण पत्र
      4. पंजीयक अधिकारी का नाम, पद एवं संस्था का नाम
      5. गत तीन वर्षों का वार्षिक र्टन ओवर रिपोर्ट
      6. वृक्षारोपण/बायोफ्यूल संबंधी कार्यों के अनुभव का विवरण

स्थान आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :

करार

यह करार एक पक्षकार के रूप में ..... (कम्पनी/सहकारी समिति/राजकीय उपक्रम का नाम) की ओर से .... (अधिकृत प्रतिनिधी का नाम एवं पदनाम) (जिसे इसमें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि भी हैं जब तक की विषय या संदर्भ से ऐसे अपवर्जित या उसके विरूद्ध नहीं है),

दूसरे पक्षकार के रूप में .....(ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति/वन विकास अभिकरण का नाम) जो कि रजिस्टर्ड सोसाइटी है, की ओर से..... .....(अध्यक्ष का नाम) (जिसे इसमें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है) : और तीसरे पक्षकार के रूप में राजस्थान के राज्यपाल की ओर से .... (संबंधित उप वन संरक्षक का नाम एवं पद नाम) (जिन्हें इसमें आगे राज्य सरकार कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके पद–उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं, जब तक कि विषय या संदर्भ से ऐसा अपवर्जित या उसके विरूद्ध नहीं है) के मध्य आज दिनांक ..... को किया गया है।

यह कि द्वितीय पक्ष निम्न वर्णित वन भूमि, जिस पर राज्य सरकार का पूर्ण स्वामित्व है, पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई बायोडीजल आधारित वृक्षारोपण योजना के अनुसार वृक्षारोपण, विकास, सुरक्षा एवं प्रबन्ध कार्य करने हेतु सहमत है।

वन भूमि का वर्णन

नाम जिला ..... मण्डल ..... रेंज..... नाका ....बीट..... वन खण्ड कम्पार्टमेन्ट ..... क्षेत्रफल ..... सीमांकन ..... उत्तर ..... पूर्व ..... दक्षिण ..... पश्चिम .....

यह कि प्रथम पक्ष उक्त वृक्षारोपण कार्य हेतु व्यय होने वाली समस्त राशि राज्य सरकार को देने हेतु सहमत है।

यह कि रतनजोत/करंज के पौधे उपरोक्त वर्णित क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली स्थानीय वनस्पति के रूप में विद्यमान है तथा इन प्रजातियों का रोपण उपरोक्त वर्णित क्षेत्र के समग्र वृक्षारोपण परियोजना का भाग है।

यह कि उपरोक्त वर्णित क्षेत्र की उपयुक्तता के अनुसार अन्य प्रजातियों के रोपण के साथ रतनजोत/करंज का रोपण भी समग्र वृक्षारोपण परियोजना के अनुसार करवाया जावेगा।

अतः पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है :–

1. रतनजोत/करंज एवं अन्य वानिकी प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु प्रथम पक्ष, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मॉडल की दर से संपूर्ण राशि अग्रिम रूप से राज्य सरकार को देगा जो कि उपरोक्त राशि को आवश्यकतानुसार द्वितीय पक्ष को

उपलब्ध करायेगा। यह राशि प्रथम पक्ष को न तो वापस देय होगी और न ही बीजों के क्रय के समय समायोजित की जावेगी।

2. उक्त वृक्षारोपण का कार्य इस करार के हस्ताक्षरित होने के तीन वर्ष की अवधि में किया जाना आवश्यक होगा।
3. राज्य सरकार वृक्षारोपण हेतु उन्नत किस्म के बीज द्वितीय पक्ष को उपलब्ध करायेगी।
4. द्वितीय पक्ष, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये बीजों से उन्नत किस्म के पौधे तैयार करेगा तथा समस्त वृक्षारोपण राज्य सरकार के तकनीकी मार्गदर्शन में सम्पादित करेगा।
5. वृक्षारोपण तथा समस्त विकास कार्य द्वितीय पक्ष द्वारा स्वयं कराया जावेगा, उक्त कार्य किसी अन्य एजेन्सी/संस्था के माध्यम से नहीं कराया जावेगा।
6. उपरोक्त वर्णित वन क्षेत्र में रतनजोत/करंज को मोनोकल्चर के रूप में नहीं लगाया जावेगा।
7. उक्त वन भूमि पर वृक्षारोपण के अतिरिक्त कोई गैर वानिकी कार्य नहीं करवाया जावेगा।
8. वृक्षारोपण क्रियान्वयन, देखभाल, प्रबंध, सुरक्षा एवं विकास की पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
9. द्वितीय पक्ष उपरोक्त वर्णित क्षेत्र से प्राप्त रतनजोत/करंज के बीजों की पैदावार को बायोडीजल हेतु प्रथम पक्ष को प्रचलित बाजार दर पर उपलब्ध करायेगा तथा प्रथम पक्ष उक्त बीजों को क्रय करने हेतु बाध्य होगा।
10. उपरोक्त वर्णित क्षेत्र से प्राप्त होने वाले बीजों को प्रचलित बाजार दर पर प्रथम पक्ष द्वारा क्रय नहीं करने की स्थिति में द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त बीजों का विक्रय अन्य व्यक्तियों को राज्य सरकार के निर्देशानुसार किया जा सकेगा, प्रथम पक्ष किसी मुआवजे का हकदार नहीं होगा।
11. रतनजोत/करंज के विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नीति/दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जावेगा।
12. प्रथम पक्ष को रतनजोत/करंज के बीजों के अतिरिक्त अन्य कोई वन उपज प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।
13. रतनजोत/करंज के बीजों के अतिरिक्त अन्य वन उपज का निस्तारण राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी नीति/दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जावेगा।
14. वन भूमि जिस पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, पर पूर्ण स्वामित्व राज्य सरकार का रहेगा।
15. करार की अवधि निष्पादन की तिथि से 10 वर्ष तक के लिए होगी, जिसे तीनों पक्षों की सहमति से एक बार में पांच वर्ष की अवधि के लिए दो बार बढाया जा सकेगा।

16. करार के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में मामला संबंधित मुख्य वन संरक्षक के पास निर्णय हेतु भेजा जावेगा, जिस पर उनका निर्णय अन्तिम होगा।
17. समस्त पक्षों द्वारा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार तथा बायोफ्यूअल आथोरिटी द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों की पालना की जावेगी।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं पदनाम) प्रथम पक्ष की ओर से	(अध्यक्ष का नाम) द्वितीय पक्ष की ओर से	(उप वन संरक्षक का नाम) राजस्थान के राज्यपाल की ओर से

गवाह

1.
2.
3.